

Uttar Pradesh

15 NOV 2017

W 293199

(2)

स्तर के उद्देश्य विभागित होंगे।

- स्कूलों, कालेजों एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। ये संस्थाएं भारतीय संघ में किसी भी स्थान पर स्थापित की जा सकेंगी जिनमें विना किसी भेदभाव के सभी समुदायों के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जायेगी।
- शिक्षा के प्रधार-प्रसार एवं विभिन्न प्रकार के तकनीकी पर आधारित शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्धन करना एवं सहयोग प्रदान करना।
- वर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तरीय वाणिज्यिक, औद्योगिक, तकनीकी, व्यवसायिक एवं अन्य सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाना तथा उनका समृद्धित प्रबन्ध करना।
- आवश्यकतानुसार प्रत्येक स्तर की शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज आदि संचालित करना एवं उनके प्रबन्धन करना।
- छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अच्छे शिक्षक तैयार करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उनका उचित प्रबन्धन करना।
- प्रोट शिक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करना।
- स्कूल बच्चों, छात्रों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरणादायक प्रसंगों से अवगत कराने पर्य उनके नैतिक, सामाजिक य मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से वैठकों, भाषणों, मालाओं, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, सेमीनारों, सभाओं, अन्य प्रतियोगिताओं, अध्ययन एवं शोध कार्यों, खेलकूद, दर्शनीय एवं पर्यटन स्थलों के भ्रमण कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आडियो-वीडियो, सिनेमा प्रदर्शन कार्यक्रम आदि का आयोजन करना।

क्रमांक: 3 पर

Abhayakumar

प्राप्ति भाष्व


संजीव बुमा

Abhayakumar

प्राप्ति भाष्व संजीव बुमा

५३३ बुमा ४०००

Uttar Pradesh



OH 207639

(3)

8. जन सामान्य के हाथ एवं शोदृशक स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से साइबरी, ब्यूजियम व रीडिंग रूम आदि की स्थापना करना एवं उनमें जनोपयोगी पठन-पाठन व अन्य सामग्री उपलब्ध कराना।
9. प्रतिभाशाली छात्रों को छाक्रवृत्तियों, पारितोषक एवं निःशुल्क पुस्तकों आदि उपलब्ध कराना एवं उनको विकास के समुदाय सापन उपलब्ध कराना।
10. दस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार दान-अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि दस्ट के सदस्यों एवं अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं से प्राप्त करना एवं विभिन्न कार्यनियों फ्रैंसी सोसाइटियों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से निर्धारित शर्तों पर दस्ट के पक्ष में जग व पूँजी निवेश प्राप्त करना एवं दस्ट यीं ओर से आवश्यक होने पर उक्त संस्थाओं में पूँजी निवेश करना।
11. समय पर प्राकृतिक एवं दैरी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सामग्री जैसे भोजन, कपड़े दवाएं अस्थायी एवं स्थाई भवन आदि उपलब्ध कराना।
12. विकलांगों, अंग-भंग व शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को चिकित्सा एवं अन्य प्रकार की वाचित्त सहायता उपलब्ध कराना।
13. गरीब यां के व्यक्तियों के आर्थिक सुदृढीकरण हेतु कार्यक्रम चलाना एवं उनकी पुत्रियों की शादियों में आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
14. यामीन एवं शाही क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना एवं अनुसादक भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विकास परियोजनाएं चलाना।
15. पर्मार्थ, अस्पतालों, नर्सिंग होम, चिकित्सा सेवा केंद्र, वृद्धावस्था-आवासगृहों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

क्रमसंख्या: .....4 पर

पर्मार्थ भावन

संघीव व्यवस्था


पर्मार्थ भावन

संघीव व्यवस्था

*Hulyader*

13 अगस्त 2010

UTTAR PRADESH



OH 207640

(4)

16. छात्रावासों एवं बोर्डिंग हाउसों की स्थापना करना व नौजवानों के शारीरिक विकास हेतु खेल के मैदानों का निर्माण करना तथा उन्हें खेलकूद व्यायाम हेतु आपश्यक उपकरण व सामग्री उपलब्ध कराना।
17. जन सामान्य की धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों को उचित दिशा में बढ़ावा देना एवं आध्यात्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
18. लघु उद्योगों एवं हस्त शिल्प को विकसित करना।
19. गरीब वर्ग एवं जनता की सुविधा के लिए विवाह भवनों की देश के किसी भी भाग में स्थापना करना।
20. सभाज के अक्षम व्यक्तियों/परिवारों को समय-समय पर आवश्यकतानुसार आवास, भोजन सामग्री एवं वस्त्र इत्यादि निःशुल्क अथवा नोमीनल मूल्य पर उपलब्ध कराना।
21. द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भूमि, भवन, स्कूल, कालेज एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं हेतु सभी प्रकार की चल-अचल सम्पत्ति को क्रय करना, विक्रय करना, अधिग्रहीत करना, बन्धक करना अथवा किसी विधि मान्य प्रकार से उस पर कजा करना।
22. सामाजिक/सांस्कृतिक उत्सवों एवं राष्ट्रीय पर्वों व महापुरुषों की जयन्ती आदि कार्यक्रम को आयोजित करना एवं उनके आयोजन में सहयोग करना। यदि द्रस्ट अथवा उसके द्रस्टीगण द्वारा उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य द्रस्ट, सोसाइटी अथवा परियोजना को अंशादान या आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तो इस कार्य को भी द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया कार्य ही माना जायेगा।
23. द्रस्ट के सुचालन प्रबन्धन एवं कार्य संचालन हेतु देश के किसी भी भाग में क्षेत्रीय कार्यालय/विभाग गृहों आदि की स्थापना करना।

क्रमशः ..... 5 पर

प्राप्तिभाव राजीव्यमा  
Haldighati

पुनर्जीवन  
उनिं